रजिस्ट्री सं० डी एल (एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED NO. DL (N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21—अगस्त 27, 2004 (श्रावण 30, 1926)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21—AUGUST 27, 2004 (SRAVANA 30, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधियां नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	715
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	849
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1201
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विवरण तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	785
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	6297
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3269
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	241
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	715
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	849
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ..	1201
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. ..	785
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ..	6297
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	3769
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ..	241
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कोयला और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2004

संकल्प

सं० 1/3/98-खान-VI (वोल्यूम-III)—भारत सरकार ने अपने दिनांक 24-4-98 के संकल्प संख्या 1/1/95-खान-VI द्वारा ग्रेनाइट उद्योग के विकास के निरीक्षण के लिए एक ग्रेनाइट विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया था जिसका कार्यकाल दो वर्ष की अवधि यानी 31-3-2000 तक था और जिसे बाद में 31-3-2004 तक बढ़ा दिया गया । भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ग्रेनाइट विकास परिषद का कार्यकाल 31-3-2009 तक बढ़ाना ग्रेनाइट उद्योग के विकास और ग्रेनाइट के निर्यात के हित में होगा और इसके विचारार्थ विषय वही होंगे जिनका दिनांक 24-4-98 के संकल्प सं० 1/1/95-खान VI में उल्लेख किया गया है और ग्रेनाइट विकास परिषद का विस्तार कर दिया है तद्नुसार इसका संघटन निम्नवत है :—

अध्यक्ष

1. सचिव,
   खान विभाग,
   भारत सरकार, नई दिल्ली ।

सदस्य

2. संयुक्त सचिव,
   वाणिज्य मंत्रालय,
   भारत सरकार, नई दिल्ली ।
3. संयुक्त सचिव,
   पर्यावरण और वन मंत्रालय,
   भारत सरकार, नई दिल्ली ।
4. संयुक्त सचिव,
   वित्त मंत्रालय,
   राजस्व विभाग,
   नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. संयुक्त सचिव,
   वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
   आई० पी० पी० विभाग, उद्योग भवन,
   नई दिल्ली ।
6. सचिव,
   उद्योग और वाणिज्य विभाग,
   आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
7. सचिव,
   खान विभाग,
   राजस्थान सरकार, जयपुर
8. सचिव,
   उद्योग विभाग,
   तमिलनाडु सरकार, चेन्नै ।
9. प्रधान सचिव,
   इस्पात और खान विभाग,
   उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।
10. सचिव,
    वाणिज्य और उद्योग विभाग,
    कर्नाटक सरकार, बंगलौर ।
11. सचिव,
    उद्योग और खान विभाग,
    गुजरात सरकार, गांधी नगर ।
12. आयुक्त एवं सचिव,
    उद्योग विभाग,
    केरल सरकार, तिरुवन्नतपुरम ।
13. महानिदेशक,
    भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण
    कोलकाता ।
14. महानियंत्रक,
    भारतीय खान ब्यूरो,
    नागपुर ।
15. निदेशक,
    नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स,
    पी० ओ० चेम्पियन रीफ्स,
    कोलार गोल्ड फील्ड्स-563117
    कर्नाटक ।
16. अध्यक्ष,
    आल इण्डिया ग्रेनाइट और स्टोन एसोसिएशन,
    बंगलौर ।

17. महासचिव,
फेडेरेशन ऑफ इण्डियन मिनरल इण्डस्ट्रीज,
नई दिल्ली ।

18. केपेक्सिल,
वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,
14/1-बी एजरा स्ट्रीट,
द्वितीय तल, कोलकाता ।

19. प्रबंध निदेशक,
ग्रेनाइट (इण्डिया) लिमिटेड,
143, एल्डम्स रोड, चेन्नै-600 018

20. मैसर्स पेसिफिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
बेडला गांव, पी० ओ० बॉक्स 119,
उदयपुर-313 001

21. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास निगम,
हैदराबाद ।

22. संयुक्त सचिव,
(खनिज नीति तथा विधान),
खान विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

सदस्य सचिव

23. निदेशक,
(खनिज नीति तथा विधान),
खान विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

3. ग्रेनाइट विकास परिषद के विचारार्थ विषय निम्न होंगे :

(i) ग्रेनाइट खानों की स्थिति का आवधिक सर्वेक्षण और आकलन करना तथा इस खनिज के तीव्र विकास के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(ii) खानों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन और इस खनिज के प्रौद्योगिकी उन्नयन और वैज्ञानिक दोहन के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(iii) ग्रेनाइट के वर्तमान कराधान और रायल्टी ढांचे का मूल्यांकन और ग्रेनाइट में निवेश को और अधिक आकर्षित करने के उपायों का सुझाना ।

(iv) ग्रेनाइट और इसके उत्पादों में मूल्य आवर्धन को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना ।

(v) अन्य कोई पहलू जिसे परिषद देश में ग्रेनाइट के खनन और उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने ।

प्रशांत मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 30th July 2004

RESOLUTION

No. 1/3/98-MVI. (vol-iii).—A Granite Development Council for overseeing the development of the Granite Industry was reconstituted by the Government of India vide its Resolution of No. 1/1/95-MVI. dated 24-4-98. The tenure of which was for a period of two years i.e. upto 31-3-2000 which was subsequently extended upto 31-3-2004. The Government of India has come to the view that it will be in the interest of development of granite industry and export of granite to extend the tenure of Granite Development Council upto 31-3-2009 with the same terms of Reference as mentioned in Resolution No. 1/1/95-MVI. dated 24-4-98 and the composition of the Granite Development Council has been expanded and accordingly its composition is as under :

Chairman

1. Secretary
Deptt. of Mines,
Govt. of India, New Delhi.

Members

2. Joint Secretary
Ministry of Commerce,
Govt. of India, New Delhi.

3. Joint Secretary
Ministry of Environment & Forests,
Govt. of India, New Delhi.

4. Joint Secretary
Ministry of Finance,
Deptt. of Revenue,
North Block, New Delhi.

5. Joint Secretary
Ministry of Commerce & Industry,
Deptt. of IPP, Udyog Bhavan,
New Delhi.

6. Secretary
Industries & Commerce Deptt.
Govt. of Andhra Pradesh,
Hyderabad.

7. Secretary
Mines Deptt.
Govt. of Rajasthan,
Jaipur.

8. Secretary
Industries Deptt.,
Govt. of Tamil Nadu,
Chennai.

9. Principal Secretary,
Steel & Mines Deptt.,
Govt. of Orissa,
Bhubaneswar.

10. Secretary
Commerce & Industries Deptt.,
Govt. of Karnataka,
Bangalore.

11. Secretary
Industries & Mines Deptt.
Govt. of Gujarat,
Gandhinagar.

12. Commissioner & Secretary
Industries Deptt.
Govt. of Kerala,
Thiruvanathapuram.

13. Director General,
Geological Survey of India
Calcutta.

14. Controller General,
Indian Bureau of Mines,
Nagpur.

15. Director,
National Institute of Rock Mechanics,
P.O. Champion Reefs,
Kolar Gold Fields-563117,
Karnataka.

16. President
All India Granite and Stone Association,
Bangalore.

17. Secretary General,
Federation of Indian Mineral Industries,
New Delhi.

18. CAPEXIL
World Trade Centre,
14/1B EZRA Street,
2nd Floor, Kolkata.

19. The Managing Director,
Granite (India) Ltd.,
143 Eldams Road, Chennai-600018.

20. M/s. Pacific Industries Ltd.,
Bedla Village, P.O. Box-119,
Udaipur-313001.

21. Chairman-cum-Managing Director
Andhra Pradesh Mineral Dev. Corp.
Hyderabad.

22. Joint Secretary
(Mineral Policy & Legislation)
Deptt. of Mines,
Govt. of India, New Delhi.
Member-Secretary

23. Director,
(Mineral Policy & Legislation),
Deptt. of Mines,
Govt. of India, New Delhi.

3. The Terms of Reference of the Granite Development Council will be as follows :

(i) To assess and review periodically the status of granite mines and recommend measures for speedy development of the mineral.

(ii) To assess technology employed in the mines and recommend measures for upgradation of technology and scientific exploitation of the mineral.

(iii) To assess present taxation and royalty structure on granite and suggest measures to make investment in granite more attractive.

(iv) To recommend measures for increasing value addition in granite and its products.

(v) Any other aspect which the Council deems important in the interest of development of granite mining and industry in the country.

PRASHANT MEHTA, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004